# राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015
टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141–2707679,ई–मेल:–rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक :– प.4(20)एस.पी. / 2017–18 / 299 दिनांक :– 13/4/17

सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
मण्डल मुख्यालय,
समस्त

विषय :– कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर (अभिरूचि एवं लघु उद्योग प्रशिक्षण) 11 मई से 18 जून, 2017 तक।

महोदय / महोदया,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2017–18 के अनुसार बालक / बालिकाओं में श्रम के प्रति निष्ठा, स्वावलम्बन, आत्मविश्वास आदि गुणों के विकास एवं ग्रीष्मावकाश के खाली समय के सदुपयोग की दृष्टि से प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण शिविरों (अभिरूचि एवं लघु उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों) का आयोजन एवं संचालन किया जाना है।

इन केन्द्रों पर अधिक से अधिक बालक / बालिकाओं को लाभान्वित किया जा सके, इस दृष्टि से यह प्रयास किया जावे कि सभी जिला एवं मण्डल मुख्यालयों तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय संघ मुख्यालयों पर इन केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित किया जावे।

अतः आप निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इन शिविरों की प्रस्तावित कार्य योजना सभी जिला मुख्यालयों से **प्रपत्र "अ" में प्राप्त कर 30 अप्रैल, 2017 तक** इसकी स्वीकृति जारी करते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाएँ–

| **क्र.सं** | **केन्द्र का स्तर** | **न्यूनतम प्रशिक्षणार्थी सं.** | **केन्द्रो की संख्या** |
|---|---|---|---|
| 1. | मण्डल मुख्यालय स्तरीय | 400 | प्रति मण्डल 1 कुल 07 |
| 2. | जिला मुख्यालय स्तरीय | 300 | प्रति जिला 1 कुल 33 |
| 3. | स्थानीय संघ स्तरीय (शहरी क्षेत्र) | 200 | प्रति जिला 2 कुल 66 |
| 4. | स्थानीय संघ स्तरीय (ग्रामीण क्षेत्र) | 100 | प्रति जिला 2 कुल 66 |

**शुल्क** :– प्रवेश शुल्क प्रति सम्भागी 100/– रू. तथा विशेष शुल्क कम्प्यूटर या किसी विशेष विषय के लिए 200/– रू. निर्धारित है। इसके अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।

**प्रशिक्षक** :–प्रशिक्षकों के रूप में यथा संभव स्काउटर / गाइडर या अध्यापक / अध्यापिकाओं को लगाया जावे। विशेष परिस्थिति में यदि व्यवसायिक प्रशिक्षकों को लगाया जाना आवश्यक हो तो उनको देय मानदेय / वाहन व्यय आदि हेतु सहायक राज्य संगठन आयुक्त की लिखित स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्वीकृत योजना के अनुसार इन केन्द्रों के समुचित संचालन की व्यवस्था करवाकर आश्वस्त हों तथा केन्द्र प्रारम्भ होते ही संबंधित संचालक द्वारा केन्द्र के प्रारम्भ होने की सूचना मोबाइल द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को दी जावे।

शिविर समापन उपरान्त 25 जून 2017 तक सभी संचालक इसका प्रतिवेदन **प्रपत्र–ब** में दो–दो प्रतियों में तैयार कर अपने मण्डल मुख्यालय को भिजवाएगें। मण्डल मुख्यालय पर मण्डल के सभी शिविरों की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रपत्र–स में अलग–अलग चारों स्तरों का समेकित विवरण तैयार कर प्रपत्र–ब की एक–एक प्रति सहित राज्य मुख्यालय को 30 जून, 2017 तक प्रेषित करेंगे।

सहायक राज्य संगठन आयुक्त इन शिविरों की योजना स्वीकृति एवं क्रियान्विति के दौरान विजिट से यह सुनिश्चित करेंगें कि योजना अनुसार उपलब्धियॉ अर्जित हो रही हैं।